भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1077

दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर

†1077. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2023 नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्तमान राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर (टीएफआर) का ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में प्रतिस्थापन स्तर पर विचार किए गए विशिष्ट टीएफआर मूल्य का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या गत दस वर्षों के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण या शहरी क्षेत्र प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में टीएफआर मूल्य का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) देश के समग्र टीएफआर में सुधार लाने के लिए, जिन राज्यों की टीएफआर खतरनाक रूप से कम है, के लिए विचार की जा रही पहलों एवं नीतियों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) उस दशक का ब्यौरा क्या है जिसमें देश की जनसंख्या चरम पर पहुंचने की अपेक्षा है और अपेक्षित जनसंख्या का आकार क्या है; और
(च) उस अनुमानित वर्ष का ब्यौरा क्या है जिसमें भारत के वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) की जनसंख्या का अनुपात देश में बच्चों (14 वर्ष से कम) की संख्या से अधिक होने की अपेक्षा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2023 में भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1.9 थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों (2.1) में टीएफआर शहरी क्षेत्रों (1.5) की तुलना में अधिक थी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर, अर्थात 2.1, प्राप्त कर लिया गया है, जो दिल्ली (1.2), तमिलनाडु (1.3), पश्चिम बंगाल (1.3), केरल (1.5), पंजाब (1.5), हिमाचल प्रदेश (1.6), महाराष्ट्र (1.4), आंध्र प्रदेश (1.5), जम्मू और कश्मीर (1.5), कर्नाटक (1.5), तेलंगाना (1.5), ओडिशा (1.7), उत्तराखंड (1.7), गुजरात (1.8), हरियाणा (1.9), असम (2.0) और झारखंड में (2.1) है। विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय परिवार नियोजन सेवाओं को स्वैच्छिक रूप से अपनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही माँ और बच्चे के स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु गर्भधारण के समय और अंतराल को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रमगत कार्यकलाप भी संचालित करता है। मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखभाल की सततता के एकीकृत दृष्टिकोण को माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु विभिन्न आई ई सी और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से समर्थित किया जाता है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत राज्य-विशिष्ट बजटों को अनुमोदन हेतु विचार किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01.01.2017 से पूरे देश में (तेलंगाना को छोड़कर) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाय) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएमवीवाय एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके अंतर्गत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे ₹5,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को ₹6,000/- मिलते हैं। पीएमएमवीवाय के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए भी ₹6,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, बशर्ते कि दूसरी संतान लड़की हो।

*****

अनुलग्नक

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1077 जिसका उत्तर 05.12.2025 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक

निवास के अनुसार टीएफआर (कुल प्रजनन दर), भारत और बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, 2023

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	1.9	2.1	1.5
आंध्र प्रदेश	1.5	1.6	1.3
असम	2.0	2.1	1.3
बिहार	2.8	2.9	2.2
छत्तीसगढ़	2.2	2.5	1.6
दिल्ली	1.2	1.3	1.2
गुजरात	1.8	2.1	1.6
हरियाणा	1.9	2.1	1.7
हिमाचल प्रदेश	1.6	1.6	1.1
जम्मू और कश्मीर	1.5	1.6	1.2
झारखंड	2.1	2.3	1.7
कर्नाटक	1.5	1.7	1.4
केरल	1.5	1.5	1.5
मध्य प्रदेश	2.4	2.6	1.8
महाराष्ट्र	1.4	1.6	1.3
ओडिशा	1.7	1.8	1.2
पंजाब	1.5	1.5	1.4
राजस्थान	2.3	2.4	2.1
तमिलनाडु	1.3	1.3	1.3
तेलंगाना	1.5	1.6	1.5
उत्तर प्रदेश	2.6	2.7	2.2
उत्तराखंड	1.7	1.8	1.6
पश्चिम बंगाल	1.3	1.4	1.1

नोट: एक डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ किया गया।

स्रोत: एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 (विवरण 24)

*****